**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1129**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**दवाओं के खुदरा और थोक मूल्यों में अंतर**

**1129. श्री पि.भट्टाचार्यः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दवाओं के खुदरा और थोक मूल्यों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो क्या दवाओं के थोक और खुदरा मूल्यों में अंतर को कम करने के लिए कोई कदम

उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार कब तक ऐसा कदम उठाने की योजना बना रही है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** डीपीसीओ, 1995 के अतिक्रमण में सरकार ने औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) को दिनांक 15 मई, 2013 को अधिसूचित कर दिया है। राष्‍ट्रीय आवश्‍यक दवा सूची 2011 में विनिर्दिष्‍ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और उन्‍हें मूल्‍य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है। डीपीसीओ, 2013 में खुदरा विक्रेता को पीटीआर (खुदरा विक्रेता का मूल्‍य) पर केवल 16 प्रतिशत के मार्जिन के प्रावधान के साथ उच्‍चतम मूल्‍य निर्धारित करने की व्‍यवस्‍था है। राष्‍ट्रीय औषध मूल्‍य निर्धारण प्राधिकरण ने अब तक उक्‍त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत 291 दवाइयों के संबंध में उच्‍चतम मूल्‍य अधिसूचित किए हैं। जहां तक गैर-अनुसूचित औषधियों का संबंध है, उच्‍चतम मूल्‍य के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

\*\*\*\*\*\*